## VI. प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण (एमडीए)

भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (लिस्टिंग दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) (संशोधन) विनियम 2018 के अनुपालन के संदर्भ में नीचे दिए गए विवरणों के अनुपालन निम्नलिखित अनुपात में 25% से अधिक का परिवर्तन हुआ है :

| (% में) | मार्च 21 | मार्च 22 | अंतर (बीपीएस) | % परिवर्तन |
|---|---|---|---|---|
| निवल लाभ मार्जिन | 6.61 | 10.02 | 341 | 51.59 |
| आरओई | 9.94 | 13.92 | 398 | 40.04 |

**निवल लाभ मार्जिन :**

निवल लाभ में 55.19% की वर्षानुवर्ष वृद्धि दर्ज की गई (वित्त वर्ष 2021 में 20,410 करोड़ रुपए के लाभ से वित्त वर्ष 2022 के दौरान 31,676 करोड़ रुपए के निवल लाभ), जबकि कुल आय (वित्त वर्ष 2021 के 3,08,647 करोड़ रुपए से वित्त वर्ष 2022 में 3,16,021 करोड़ रुपए) में केवल 2.39% की वर्षानुवर्ष वृद्धि दर्ज की गई।

**निवल मालियत पर प्रतिलाभ :**

निवल लाभ में 55.19% की वर्षानुवर्ष वृद्धि दर्ज की गई (वित्त वर्ष 2021 में 20,410 करोड़ रुपए के लाभ से वित्त वर्ष 2022 के दौरान 31,676 करोड़ रुपए के निवल लाभ), जबकि बैंक के निवल मालियत (वित्त वर्ष 2021 के 2,14,666 करोड़ रुपए से वित्त वर्ष 2022 में 2,40,502 करोड़ रुपए) में 12.04% की वर्षानुवर्ष वृद्धि हुई।

## VII. उत्तरदायित्व वक्तव्य :

निदेश बोर्ड एतदद्वारा सूचित करता है कि :

i. वार्षिक लेखे तैयार करते समय लागू लेखमानकों का समुचित अनुपालन किया गया है और महत्वपूर्ण विचलाओं की स्थिति में समुचित स्पष्टीकरण दिया गया है;

ii. उन्होंने ऐसी लेखा नीतियों का चयन और निरंतर प्रयोग किया है और उचित एवं विवेकपूर्ण निर्णय व प्राक्कलन किए हैं, ताकि 31 मार्च, 2022 तक अपने बैंक के मामलों की स्थिति और उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए आपके बैंक के लाभ एवं हानि का एक सच्चा व उचित दृष्टिकोण दिया जा सके;

iii. उन्होंने आपके बैंक की परिसंपत्तियों की सुरक्षा और धोखाधड़ी एवं अन्य अनियमितताओं को रोकने व उनका पता लगाने के लिए बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 और भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन अभिलेखों के रखरखाव के लिए उचित एवं पर्याप्त सावधानी बरती है;

iv. उन्होंने वार्षिक लेखों को वर्तमान और भावी सतत अपेक्षाओं के अनुसार तैयार किया है;

v. बैंक द्वारा अनुपालन किए जाने के लिए आंतरिक वित्तीय नियंत्रण निर्धारित किए गए हैं और ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त एवं प्रभावी रूप से कार्य कर रहे हैं;

vi. सभी प्रयोज्य क़ानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त प्रणाली तैयार की गई है तथा एसी प्रणाली पर्याप्त है एवं प्रभावी रूप से कार्य कर रही है।

## VIII. आभार

वर्ष के दौरान श्री अनिल कुमार शर्मा को भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1955 की धारा 19 (च) के अंतर्गत 13 अप्रैल 2021 से श्री चंदन सिन्हा के स्थान पर बोर्ड के निदेशक के रूप में नामित किया गया। श्री प्रफुल्ल छाजेड को भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1955 की धारा 19 (घ) के अंतर्गत 21 दिसंबर 2021 से बोर्ड के निदेशक के रूप में नामित किया गया। अपना कार्यकाल समाप्त होने पर डॉ पुष्पेंद्र रॉय दिनांक 5 फरवरी, 2022 को बोर्ड से सेवानिवृत्त हुए। श्री संजय मल्होत्रा को भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1955 की धारा 19 (ङ) के अंतर्गत 16 फरवरी, 2021 से श्री देबशीष पांडा के स्थान पर बोर्ड के निदेशक के रूप में नामित किया गया।

निदेशक बोर्ड ने श्री चंदन सिन्हा, डॉ पुष्पेंद्र रॉय एवं श्री देबशीष पांडा द्वारा बोर्ड की चर्चाओं में दिए गए योगदानों के लिए उनकी सराहना की।

निदेशकों ने भारत सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक, सेबी, आईआरडीए और अन्य सरकारी एवं विनियामक एजेंसियों से प्राप्त मार्गदर्शन और सहयोग के लिए अपनी कृतज्ञता प्रकट की।

निदेशकों ने सभी मूल्यवान ग्राहकों, शेयरधारकों, बैंकों और वित्तीय संस्थानों, स्टॉक एक्सचेंजों, रेटिंग एजेंसियों और अन्य हितधारकों को उनके संरक्षण एवं सहयोग के लिए धन्यवाद दिया तथा इस अवसर पर बैंक के कर्मचारियों की समर्पित एवं प्रतिबद्ध टीम के लिए अपना आभार व्यक्त किया।

केंद्रीय निदेशक बोर्ड के लिए
और उनकी ओर से

अध्यक्ष

दिनांक : 13 मई, 2022